हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./478/ अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 25 /10/2019

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय के विनियम कमांक–107 के नियमानुसार एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16/10/2019 में किये गये अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदाय की जाती है ।

नवीन शोध केन्द्र की सूची

क	विषय	शोध केन्द्र
1.	1. माइक्रोबायोलॉजी 2. भूगोल	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

उपरोक्त अनुसार संबंधित महाविद्यालय को दर्शित विषय में शोध केन्द्र की मान्यता इस निर्देश के साथ प्रदाय की जा रही है की संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विनियम कमांक 107 के नियमों/शोध केन्द्र हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी सूचना/अधिसूचना/निर्देशों/आदेशों/आरक्षण नियमों एवं शोध केन्द्र की प्रतिवर्ष प्रति विषय अनुसार वार्षिक संबद्धता शुल्क हेतु जारी अधिसूचना पत्र कमांक 424/अका./शोध/2019, दुर्ग दिनांक 17/09/2019 का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे । **यह भी की शोध केन्द्र द्वारा उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित शोध केन्द्र पर विश्वविद्यालय विनियम कमांक 107 की कंडिका 11 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये संबंधित शोध केन्द्र स्वंय जिम्मेदार होंगे।**

नोट – शोध केन्द्र वार्षिक संबद्धता शुल्क की राशि प्रत्येक वर्ष के माह जून तक विश्वविद्यालय के देना बैंक के खाता कमांक 147310034533 में चालान के माध्यम से कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के नाम जमा कर बैंक पर्ची की मूलप्रति अनिवार्य रूप से अकादमिक विभाग के पी–एच.डी. सेल में प्रस्तुत करेंगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क. 479 /अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
2. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र/समस्त संबंद्ध महाविद्यालयों को सूचनार्थ ।
3. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) ।
4. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./424/ अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 17/09/2019

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक–107 की कंडिका 2 एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी शुल्क विवरण अधिसूचना पत्र क्रमांक 90/अका./शोध/2018, दुर्ग, दिनांक 05/09/2018 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24/07/2019 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त मान्य शोध केद्रों को यह अधिसूचित किया जाता है कि शोध केन्द्रों की वार्षिक संबंद्धता शुल्क की राशि प्रति विषय रू. 1000/– प्रतिवर्ष में वृद्धि कर प्रति विषय रू. 3000/– प्रतिवर्ष किया गया है । उपरोक्त वृद्धि तत्काल प्रभाव में पत्र जारी दिनांक से लागू किया जाता है ।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क. 425/अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 17/09/2019

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. समस्त प्राचार्य–शोध केन्द्र को सूचनार्थ ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) ।
4. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./473/ अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

//संशोधित सूचना//

पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2019 में पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 461/अका./शोध/2019, दुर्ग, दिनांक 10/10/2019 में आदेशानुसार संशोधन किया गया है जो निम्न है –

1. **परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक 15/11/2019 तक संबंधित शोध केन्द्र सम्पन्न करायेंगे एवं समस्त प्रकियाये दिनांक 20/11/2019 तक शोध केन्द्रों द्वारा अनिवार्यतः पूर्ण करायी जानी है** । अंतिम तिथि के पश्चात् कराई गई DRC पर विश्वविद्यालय द्वारा आगे की कार्यवाही हेतु विचार नही किया जावेगा और ना ही तिथि में वृद्धि की जावेगी ।
2. अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित संशोधित तिथि अनुसार शोध केन्द्रों से सम्पर्क कर DRC की बैठक तिथि की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें ।
3. **अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र मे दिनांक 20/11/2019 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा** । अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नही दिया जावेगा।
4. **शोध केन्द्रों में पी–एच.डी. कोर्स–वर्क की कक्षाएं दिनांक 01/12/2019 से 31/05/2020 तक आयोजित की जावेंगी** एवं कोर्स–वर्क परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा से संबंधित दिशा–निर्देश पृथक से घोषित की जावेंगी ।
5. शोध केन्द्र विभागीय शोध समिति (DRC) में चनित शोधार्थियों की सूची विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग के पी–एच. डी. सेल को पत्र के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित करना सुनिश्चित करेंगे ।
6. विभिन्न विषयों में सत्र 2019 में शोध उपाधि समिति (RDC) द्वारा मान्य नवीन शोध निर्देशकों की सूची अलग से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जारी की जावेगी ।

अतः समस्त शोध केन्द्रो एवं पात्र शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त अनुसार कार्यवाही कर आगामी प्रकिया करना सुनिश्चित करेगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र. 474 / अका. / शोध / 2019 दुर्ग, दिनांक 18 / 10 / 2019

प्रतिलिपि :-

01. प्राचार्य, समस्त शोध केन्दों को सूचनार्थ ।
02. प्रचार्य समस्त संबंध महाविद्यालयों को सूचनार्थ की उक्त पत्र से अभ्यर्थी को अवगत करावे एवं महाविद्यालय के नोटिस बोड में लगाना सुनिश्चित करें ।
03. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ ।
04. कुलपति के निज सहायक / कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ
05. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र. / 461 / अका. / शोध / 2019 दुर्ग, दिनांक 10 / 10 / 2019

सूचना

पी–एच.डी. परीक्षा 2019 में पात्र अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में दिशा–निर्देश

पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा (सत्र 2019) में पात्र अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार के नियमानुसार शोध केन्द्र में प्रवेश के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार है –

1. पी–एच.डी. प्रवेश हेतु पात्र समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश कं –45 का अध्ययन अनिवार्य रूप से करें।
2. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2019 के घोषित परिणाम अनुसार पात्र अभ्यर्थी दिनांक 12 / 10 / 2019 से विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग के पी–एच.डी. सेल में अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत कर ही **Ph.D Elegibility Certificate** प्राप्त कर सकेगें ।
3. परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों हेतु विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) की बैठक एवं समस्त प्रकियाये दिनांक 14 / 10 / 2019 से 30 / 10 / 2019 के मध्य शोध केन्द्रों द्वारा अनिवार्यतः पूर्ण करायी जानी है ।
4. अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित तिथि अनुसार शोध केन्द्रों से सम्पर्क कर DRC की बैठक तिथि की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें ।
5. अभ्यर्थियों को DRC में उपस्थित होने हेतु निम्न मूल दस्तावेजों / अंकसूचियों को Verification के लिये शोध केन्द्रों में ले जाना अनिवार्य होगा ।
   1. **10th एवं 12th** की अंकसूची ।
   2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंकसूची
   3. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्र / प्रवेश परीक्षा से छूट प्रमाण पत्र (नेट / सेट / अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची अनुसार)।
   4. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार) ।
   5. गेप सर्टिफिकेट (आवश्यकता अनुसार) ।
   6. आधार कार्ड
6. अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) - (अशासकीय संस्था में कार्यरत हो / शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार उच्च शिक्षा विभाग / अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमति प्रमाण पत्र जमा करेंगे) ।
7. विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) की बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अधूरे / अपूर्ण दस्तावेजों / अंकसूचियों पर विचार नही किया जावेगा ।
8. अभ्यर्थियों को विभागीय शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र मे दिनांक 30 / 10 / 2019 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा । अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नही दिया जावेगा।
9. DRC की अनुशंसा पश्चात अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   1. पात्रता प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालय को छोड़ कर अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये अभ्यर्थियों हेतु) ।

क्रमशः.......02....

10. पी–एच.डी. शोध कार्य हेतु अभ्यर्थी के ऐसे शोध निर्देशक जो शोध केन्द में पदस्थ नही है उस स्थिति में नियमानुसार अभ्यर्थी को शोध केन्द्र से एक सह–निर्देशक लेना होगा ।

11. विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् अभ्यर्थी को पी–एच.डी. रजिस्ट्रेशन फार्म सहित समस्त अंकसूचीयों/दस्तावेजों जो पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के समय मांगा गया था की छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग (पी–एच.डी सेल) से प्रमाणित कराना होगा एवं उक्त प्रमाणित फार्म को अपने चयनित शोध केन्द्रों में प्रस्तुत कर ही अभ्यर्थी शोध केन्द्र में प्रवेश प्राप्त कर सकेगा ।

12. अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक छःमाही शोध शिक्षण शुल्क (प्रयोगशाला वाले विषयों के लिये 7500/–और बिना प्रयोगशाला विषयों के लिये 5000/–) का 50 प्रतिशत राशि शोध केन्द्र में तथा 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय में जमा करना होगा ।

13. अभ्यर्थियो को पी–एच.डी. छःमाही शिक्षण शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के देना बैक के खाता कं. 147310034533 में निर्धारित संलग्न चालान के माध्यम से जमा कर विश्वविद्यालय चालान कॉपी को एवं शोध केन्द्रों में जमा किये गये शुल्क रसीद को संलग्न प्रारूप सहित अकादमिक विभाग पी–एच.डी. सेल में जमा करना होगा ।

14. परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को शोध केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय से 7 दिवस के अंदर पी–एच.डी. हेतु नामांकन कराना अनिवार्य होगा (यदि अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये हो)।

उपरोक्त अनुसार यह भी कि समस्त पी–एच.डी. सत्र 2019 में शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पश्चात् शोध केन्द्रों में प्रवेशित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 45 और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों हेतु जारी आदेशो/नियमों/निर्देशों /सूचनाओं का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेगे । अभ्यर्थी द्वारा नियमों के उलंघन की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क. 462/अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपि :–

01. प्राचार्य, समस्त शोध केन्दों को सूचनार्थ ।
02. प्रचार्य समस्त संबंध महाविद्यालयो को सूचनार्थ की उक्त पत्र से अभ्यर्थी को अवगत करावे एवं महाविद्यालय के नोटिस बोड में लगाना सुनिश्चित करें ।
03. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ ।
04. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ
05. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)